



बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

प्री-बिड बैठक के कार्यवृत्त सह शुद्धिपत्र- भारतीय रिज़र्व बैंक के नागपुर स्थित विभिन्न सम्पत्तियों में कीट नियंत्रण उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक सेवा अनुबंध

(ई-टेंडर नं- [RBI/Nagpur Regional Office/Others/3/23-24/ET/358](#))

उपरोक्त निविदा के लिए प्री-बिड मीटिंग 07 फरवरी 2024 को 12:30 बजे सिस्को वेबएक्स के माध्यम से आयोजित की गई थी। प्री-बिड बैठक के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित स्टाफ सदस्य और फर्म/संभावित निविदाकर्ता उपस्थित थे:

क्रं.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारी का नाम और पदनाम
i.	कैप्टन मारुति एस फलके, प्रबंधक (शिष्टाचार एवं सुरक्षा)
ii.	श्री अविनाश कुमार, सहायक प्रबंधक (सुरक्षा)
iii.	मेजर स्नेहा एस इट्टी, सहायक प्रबंधक (सुरक्षा)
iv.	श्री सौरभ वर्मा, सहायक प्रबंधक
v.	श्री चेतन बी खंडोजी, सहायक प्रबंधक
vi.	श्री मरकत केशरी पात्र, सहायक
vii.	श्री श्रीराम कुमार, सहायक

क्रं.	फर्म/ संभावित निविदाकर्ताओं का नाम	प्रतिनिधि का नाम
i.	मेसर्स सेंट्रल इंडिया पेस्ट कंट्रोल	श्री अनिरुद्ध हरदास
ii.	मेसर्स सेवा फैसिलिटी सर्विसेस प्रा. लि.	श्री प्रवीण पिम्परे श्री हीरामन राठोड़



क्रं.	फर्म/ संभावित निविदाकर्ताओं का नाम	प्रतिनिधि का नाम
iii.	मेसर्स सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	श्री बालू राठोड़
		श्री अक्षय बंजारी

2. बोली-पूर्व बैठक में निम्नलिखित प्रश्न/प्रस्ताव उठाए गए थे:

क्रं.	प्रश्न/ प्रस्ताव	बैंक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण
i.	क्या कीट नियंत्रण उपचार के लिए कर्मियों को बैंक में स्थायी आधार पर तैनात करने की आवश्यकता है?	कीट नियंत्रण उपचार के लिए कर्मियों को स्थानीय स्तर पर (नागपुर में) तैनात किया जाना चाहिए ताकि वे बैंक की प्रत्येक संपत्ति पर समय-समय पर और ऑन-कॉल कीट नियंत्रण सेवाओं में भाग ले सकें, जैसा कि निविदा में उल्लिखित है।
ii.	कीट नियंत्रण उपचार की समय सारणी कैसी होनी चाहिए?	कृपया विवरण के लिए निविदा का खंड-1 "कार्य का दायरा और मात्राओं की अनुसूची" (पेज क्रं.- 46-50) देखें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त खंड में उल्लिखित आवधिक उपचारों के अलावा, ठेकेदार को बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऑन-कॉल कीट नियंत्रण उपचार करने की आवश्यकता होगी।
iii.	कृपया बैंक की संपत्तियों का साइट विजिट करने के लिए उचित समय निर्दिष्ट करें।	बैंक की आवश्यकताओं का उचित आकलन करने के लिए, इच्छुक निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले बैंक के कार्य दिवस (सोमवार-शुक्रवार) को कार्यालय समय (अधिमानत: 10:00 बजे से 15:00 बजे तक) के दौरान अपने खर्च पर साइट का दौरा करें। इस हेतु आप निविदा दस्तावेज़ के पृष्ठ संख्या 17 में निर्दिष्ट बैंक के संपर्क व्यक्ति को एक ईमेल भेजकर अपना अनुरोध पंजीकृत कर सकते हैं।
iv.	कुछ गतिविधियों के लिए, कार्य की आवृत्ति साप्ताहिक है। क्या ऐसी गतिविधियों के लिए राशि मासिक आधार पर उद्धृत की जाएगी या साप्ताहिक आधार पर?	काम की आवृत्ति पर ध्यान दिए बिना राशि मासिक आधार पर (जीएसटी को छोड़कर) उद्धृत की जानी चाहिए।



क्रं.	प्रश्न/ प्रस्ताव	बैंक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण
v.	क्या बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे?	<p>कृपया निविदा के खंड-J "अनुबंध के नियम और शर्तें" के क्लॉज़ 23 (पेज क्रं.- 55) का संदर्भ लें, इस अनुबंध के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान एनईएफटी के माध्यम से मासिक आधार पर किया जाएगा। तदनुसार बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे।</p> <p>इसके अलावा, भुगतान के लिए बिल के साथ संबंधित माह के लिए फर्म द्वारा विधिवत प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए:</p> <p>i. कीट नियंत्रण उपचार का पूरा विवरण देने वाला एक रिकॉर्ड जो निम्नलिखित के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए-</p> <ul style="list-style-type: none"> • विभाग व्यवस्थापक/तिजोरी संरक्षक- कार्यालयों में विभागों/तिजोरियों के मामले में • निवासी- कॉलोनियों में कब्जे वाले फ्लैटों के मामले में (फ्लैट के अनुसार) • संबंधित संपत्ति के अभिरक्षक- कार्यालयों/कॉलोनियों के सामान्य क्षेत्रों और कॉलोनियों में खाली फ्लैटों के मामले में (फ्लैट के अनुसार) <p>ii. बैंक द्वारा निर्देशित कोई अन्य लॉगबुक/दस्तावेज़।</p> <p>iii. पीएफ/ईएसआई, के लिए किए गए भुगतान का संकेत देने वाले दस्तावेज़ी साक्ष्य, यदि लागू हो तो।</p> <p>iv. न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को भुगतान और सीएलआरए अधिनियम के अनुसार सुविधाओं का प्रावधान और लागू होने वाली अन्य सभी वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की घोषणा/प्रमाण पत्र।</p>
vi.	हाल ही में कई राज्यों में ग्लू ट्रेप पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्या आपके परिसर में रोडेंट नियंत्रण के लिए ग्लू ट्रेप का उपयोग किया जाना चाहिए?	यदि ग्लू ट्रेप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमोदित उपयुक्त विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।



क्रं.	प्रश्न/ प्रस्ताव	बैंक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण
vii.	कृपया निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण प्रदान करें।	<p>कृपया निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के विवरण के लिए निविदा के खंड E "ई-निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड" का क्लॉज़ 3 (पेज क्रं.- 23-27) देखें।</p> <p>निविदा दस्तावेज़ के अनुबंध X (पेज क्रं.- 78-80) में निविदाकारों द्वारा जमा की जाने वाले दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट भी प्रदान की गई है। इसी प्रकार की चेकलिस्ट एमएसटीसी पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी, इच्छुक निविदाकारों को एमएसटीसी पोर्टल पर पीडीएफ प्रारूप में चेकलिस्ट के अनुसार संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।</p>
viii.	कृपया नागपुर में इस व्यवसाय को चलाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी/वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने का वचन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर स्पष्टीकरण दें।	<p>कृपया निविदा के खंड E "ई-निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड" के क्लॉज़ 3 (k) (पेज क्रं.- 27) का संदर्भ लें, निविदाकर्ताओं को यह घोषणा करते हुए एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना चाहिए कि उन्होंने नागपुर में इस व्यवसाय को करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी / वैधानिक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं। उक्त अंडरटेकिंग के साथ सभी प्रासंगिक वैध दस्तावेज़ जैसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए "वाणिज्यिक कीट नियंत्रण कार्यो के लिए कीटनाशकों के स्टॉक और उपयोग सहित कीटनाशकों की बिक्री, स्टॉक या बिक्री या वितरण के लिए लाइसेंस" इत्यादि भी जमा करने होंगे।</p> <p>यह अंडरटेकिंग निविदाकर्ता के आधिकारिक लेटरहेड में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंडरटेकिंग के साथ-साथ सभी सहायक दस्तावेज़ (लाइसेंस आदि) को एक ही पीडीएफ फ़ाइल में स्कैन किया जाना चाहिए और संबंधित चेकलिस्ट बिंदु पर एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।</p>
ix.	निविदा के लिए बोली लगाने की अवधि क्या है?	<p>बोली की अवधि 09 फरवरी 2024 को 12:00 बजे से 20 फरवरी, 2024 को 12:00 बजे तक।</p> <p>हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ईएमडी जमा करने का निर्धारित समय 20 फरवरी, 2024 को 11:00 बजे तक है।</p>
x.	निविदा प्रक्रिया में कठिनाई होने पर किससे और कैसे संपर्क करें?	भारतीय रिज़र्व बैंक और एमएसटीसी अधिकारियों का संपर्क विवरण निविदा के खंड D "ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण



क्रं.	प्रश्न/ प्रस्ताव	बैंक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण
		निर्देश" के क्लॉज़ 1 (ii) (पेज क्रं.- 17) के तहत दिया गया है। निविदा और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में किसी भी कठिनाई या प्रश्न के मामले में आप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। एमएसटीसी पोर्टल एक्सेस करने और उपयोग के दौरान होने वाली कठिनाईओं के मामले में, आप एमएसटीसी अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

3. इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा यह सूचित किया गया कि उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्यम आधार ज्ञापन संख्या) वाले के सूक्ष्म और लघु उद्यमों, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है। इस संबंध में, निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित संशोधनों/शुद्धिपत्रों को अधिसूचित किया जाता है:

क्रं.	क्लॉज़ संख्या	वर्तमान क्लॉज़	संशोधित क्लॉज़
i.	निविदा की अनुसूची का 5(i) (पेज क्रं.- 7)	बयाना राशि जमा (ईएमडी): ₹18,100/- (अट्ठारह हजार एक सौ रूपये मात्र) द्वारा (1) एनईएफटी, आरबीआई खाता संख्या 8714295, आईएफएससी कोड: RBISONGPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है), या (2) भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट, या (3) बैंक के मानक प्रोफार्मा (अनुबंध- B) में एक अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी	बयाना राशि जमा (ईएमडी): ₹18,100/- (अट्ठारह हजार एक सौ रूपये मात्र) द्वारा (1) एनईएफटी, आरबीआई खाता संख्या 8714295, आईएफएससी कोड: RBISONGPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है), या (2) भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट, या (3) बैंक के मानक प्रोफार्मा (अनुबंध- B) में एक अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई एक अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्यम आधार मेमोरेण्डम नंबर) वाले के सूक्ष्म और लघु उद्यमों, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है। ऐसी छूट का लाभ उठाने के लिए उन्हें अपना सूक्ष्म/लघु उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।



क्रं.	क्लॉज़ संख्या	वर्तमान क्लॉज़	संशोधित क्लॉज़
			हालाँकि, यह ध्यान दिया जाए कि मध्यम उद्यमों को ईएमडी जमा करने से ऐसी छूट प्रदान नहीं की गई है।
ii.	निविदा के खंड-B "प्रस्ताव का पत्र" का 1 (c) (पेज क्रं.- 10)	बयाना राशि जमा (ईएमडी): ₹18,100/- (रुपये अठारह हजार एक सौ मात्र) (कोई ब्याज़ लागू नहीं)	बयाना राशि जमा (ईएमडी): ₹18,100/- (रुपये अठारह हजार एक सौ मात्र) (कोई ब्याज़ लागू नहीं) (उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्यम आधार मेमोरेण्डम नंबर) वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू नहीं है, चाहे वह किसी भी श्रेणी के हों)
iii.	निविदा के खंड-E "ई-निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड" का 5 (पेज क्रं.- 27)	इच्छुक निविदाकारों को अपनी पात्रता मानदंड का समर्थन करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज और निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग- 1) के साथ बयाना राशि जमा (एनईएफटी विवरण / बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।	इच्छुक निविदाकारों को अपनी पात्रता मानदंड का समर्थन करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज और निविदा की तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग- 1) के साथ बयाना राशि जमा (एनईएफटी विवरण / बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्यम आधार मेमोरेण्डम नंबर) वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है। ऐसी छूट का लाभ उठाने के लिए उन्हें अपना सूक्ष्म/लघु उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाए कि मध्यम उद्यमों को ईएमडी जमा करने से ऐसी छूट प्रदान नहीं की गई है।
iv.	खंड-ई के 6 "ई-निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड" (पेज क्रं.- 27-28)	₹18,100/- (अठारह हजार एक सौ रुपये मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी) के माध्यम से जमा की जाएगी। a) 20 फरवरी 2024 को 11:00 बजे से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के खाते 8714295 और आईएफएससी RBIS0NGPA01 में एनईएफटी, या	₹18,100/- (अठारह हजार एक सौ रुपये मात्र) की बयाना राशि (ईएमडी) के माध्यम से जमा की जाएगी। a) 20 फरवरी 2024 को 11:00 बजे से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर के खाते 8714295 और आईएफएससी - RBIS0NGPA01 में एनईएफटी, या b) बैंक के मानक प्रोफार्मा (अनुलग्नक- IV) में एक अनुसूचित बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में।



क्रं.	क्लॉज़ संख्या	वर्तमान क्लॉज़	संशोधित क्लॉज़
		<p>b) बैंक के मानक प्रोफार्मा (अनुलग्नक- IV) में एक अनुसूचित बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में। बयाना राशि जमा करने के लिए जमा की गई (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से जारी) बैंक गारंटी कम से कम निविदा की वैधता अवधि और उसके अतिरिक्त 45 दिनों (अर्थात, 03 जुलाई, 2024 तक) के लिए वैध होनी चाहिए। ऐसे मामले में, बैंक गारंटी 20 फरवरी, 2024 को 11:00 बजे से पहले बैंक में भौतिक रूप से जमा की जानी चाहिए, या</p> <p>c) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। ऐसे मामले में, डिमांड ड्राफ्ट 20 फरवरी 2024 को 11:00 बजे से पहले बैंक में भौतिक रूप से जमा किया जाना चाहिए।</p> <p>किसी भी परिस्थिति में ईएमडी बैंक की सावधि जमा, चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा में निर्धारित बयाना राशि जमा न करने वाली निविदाओं को गैर-बोनाफाइड निविदा माना जाएगा और स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</p>	<p>बयाना राशि जमा करने के लिए जमा की गई (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से जारी) बैंक गारंटी कम से कम निविदा की वैधता अवधि और उसके अतिरिक्त 45 दिनों (अर्थात, 03 जुलाई, 2024 तक) के लिए वैध होनी चाहिए। ऐसे मामले में, बैंक गारंटी 20 फरवरी, 2024 को 11:00 बजे से पहले बैंक में भौतिक रूप से जमा की जानी चाहिए, या</p> <p>c) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। ऐसे मामले में, डिमांड ड्राफ्ट 20 फरवरी 2024 को 11:00 बजे से पहले बैंक में भौतिक रूप से जमा किया जाना चाहिए।</p> <p>किसी भी परिस्थिति में ईएमडी बैंक की सावधि जमा, चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा में निर्धारित बयाना राशि जमा न करने वाली निविदाओं को गैर-बोनाफाइड निविदा माना जाएगा और स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>हालाँकि, उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्यम आधार मेमोरेण्डम नंबर) वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, चाहे वह किसी भी श्रेणी के हों, को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है। ऐसी छूट का लाभ उठाने के लिए उन्हें अपना सूक्ष्म/लघु उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि वे सूक्ष्म या लघु उद्यमों के रूप में पंजीकृत होने का ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो उनकी निविदा को गैर-बोनाफाइड निविदा माना जाएगा और स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।</p> <p>यह भी ध्यान देने योग्य है कि मध्यम उद्यमों को ईएमडी जमा करने से ऐसी छूट प्रदान नहीं की जाती है।</p>



क्रं.	क्लॉज़ संख्या	वर्तमान क्लॉज़	संशोधित क्लॉज़
v.	निविदा के खंड-L "वाणिज्यिक शर्तों की चेकलिस्ट" का 2 (पेज क्रं.- 62)	बयाना राशि जमा (ईएमडी)- ₹18,100/- (अट्टारह हजार एक सौ रुपये मात्र) एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में।	बयाना राशि जमा (ईएमडी)- ₹18,100/- (अट्टारह हजार एक सौ रुपये मात्र) एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में। (उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्यम आधार मेमोरेण्डम नंबर) वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू नहीं, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो)

4. उपरोक्त सभी बिंदुओं को फर्मों द्वारा नोट किया गया और सहमति व्यक्त की गई। फर्मों को सलाह दी गई कि वे पूर्व योग्यता मानदंड और निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करें।

कृपया ध्यान दें:	
A	यह दस्तावेज (प्री-बिड बैठक का कार्यवृत्त सह शुद्धिपत्र) निविदा का एक भाग होगा। इसलिए, इसे निविदाकारों द्वारा निविदा के साथ हस्ताक्षरित और जमा किया जाना चाहिए।
B	शेष नियम और शर्तें और विनिर्देश जैसा कि निविदा दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है, वही रहेगा।
C	उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं।
D	फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/ स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।
E	यदि कोई विक्रेता इस प्री-बिड बैठक का कार्यवृत्त सह शुद्धिपत्र के जारी होने से पहले ही अपनी बोलियां एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड कर चुका है, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियों को संशोधित करें और अपनी बोलियों को एमएसटीसी पोर्टल पर फिर से अपलोड करें।

स्थान: नागपुर

दिनांक: 09 फरवरी 2024

प्रभारी महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर